रजिस्ट्री सं डी (डी एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 258] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 27, 1986/आषाढ़ 6, 1908
No. 258] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 27, 1986/ASADHA 6, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 27 जून, 1986

आदेश

का. आ. 385 (अ)/18ए.ए./आई. डी. आर. ए./86—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश स. का. आ. 170(अ)/18 ए.ए./आई. डी. आर. ए./79, तारीख 30 मार्च, 1979 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) मैसर्स महादेव टेक्सटाइल मिल्स, हुबली, कर्नाटक नामक समस्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-कक के अधीन उक्त आदेश के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ होने वाली पाच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण कर लिया गया था और कर्नाटक राज्य सरकार को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 208(अ)/18-ए. ए./आई. डी. आर. ए./84, तारीख 27 मार्च 1984 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 29 सितम्बर, 1984 तक के लिए, जिसमे यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी;

और, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश स. का. आ. 740(अ)/18-एए/आई. डी. आर. ए./84, तारीख 26 सितम्बर, 1984 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 29 मार्च, 1985 तक के लिए, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी,

और, भारत सरकार के उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 237(अ)/18-एए/आई. डी. आर. ए./85, तारीख 26 मार्च, 1985 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 29 सितम्बर, 1985 तक के लिए, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी;

और, भारत सरकार के उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश स. का. आ. 690(अ)/18-एए/आई. डी. आर. ए./85, तारीख 25 सितम्बर, 1985 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 29 मार्च, 1986 तक के लिए, जिसमे यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी;

और, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 116(अ)/18-ए ए /आई डी. आर ए /86, तारीख 27 मार्च, 1986 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 29 जून, 1986 तक के लिए, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी,

और, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि को, 29 सितम्बर, 1986 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, तीन मास की अवधि के लिए बढ़ा दिया जाए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि उक्त आदेश 29 सितम्बर, 1986 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, तीन मास की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[फा. सं. 3(2)/79-सी. यू. एस.]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 27th June, 1986

ORDERS

S.O. 385(E) 18AA/IDRA/86.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 170(E)/18AA/IDRA/79, dated the 30th March, 1979 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs Mahadeva Textile Mills, Juoli Karnataka, was taken over under Section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of five years commencing from the date of its publication of the said Order in the Official Gazette, and the State Government of Karnataka was authorised to take over the management of the said Industrial undertaking,

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No S.O. 208 (E)/18AA/IDRA/84, dated the 27th March, 1984, the period of the said Order was extended upto and inclusive of the 29th September, 1984;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No S.O 740(E) 18AA/IDRA/84, dated the 26th September, 1984, the period of the said Order was extended upto and inclusive of the 29th March, 1985;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry and Company Affairs (Department of Industrial Development) No. S.O. 237(E)/18AA/IDRA/85, dated the 26th March, 1985, the period of said Order was extended upto and inclusive of the 29th September, 1985;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry and Company Affairs (Department of Industrial Development) No. S.O. 690(E)/18AA/IDRA/85, dated the 25th September, 1985, the period of said Order was further extended upto and inclusive of 29th March, 1986;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O 116(E) 18AA/IDRA/86, dated the 27th March, 1986, the period of said Order was further extended upto and inclusive of the 29th June, 1986,

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period of three months upto and inclusive of the 29th September, 1986;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of three months upto and inclusive of the 29th September, 1986;

[F. No 3(2)/79-CUS]

का. आ. [illegible] (अ) [illegible]-चख/आई डी आर ए/86— [illegible] औद्योगिक विकास [illegible] आई डी. आर ए/79 तारीख 31 मार्च 1979 [illegible] उक्त आदेश [illegible] करते हुए [illegible] निदेश [illegible] यानी आ[illegible] विशिष्ट [illegible] औद्योगिक उपक्रम [illegible] की अवधि के लिए [illegible] उक्त [illegible] उसके अधीन आनुषंगिक या उद्भूत सभी कर्तव्य और दायित्व उक्त अवधि के लिए [illegible],

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं का आ 232(अ)/18-चख/आई डी आर ए /80 तारीख 31 मार्च, 1980 का आ 215(अ)/18चख /आई डी आर ए /81, तारीख 25 मार्च, 1981, का आ 209(अ), 18-चख/आई डी आर ए /82 तारीख 30 मार्च, 1982, का आ 258(अ) 18-चख/आई डी आर ए /83— तारीख 30 मार्च 1983, का आ 209(अ)/18-चख/आई डी आर ए /84 तारीख 27 मार्च 1984, का आ सं. 741(अ)/18-चख/आई डी आर ए /84—तारीख 26 सितम्बर, 1984, उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के का आ सं. 238(अ)/18-चख/आई. डी आर ए /85, तारीख 26 मार्च 1985, का आ सं 691(अ)/18-चख/आई डी आर ए /85 तारीख 25 सितम्बर, 1985 और का आ 117(अ)/18-चख/ आई डी आर ए /86 तारीख 27 मार्च, 1986 द्वारा उक्त आदेश की अवधि तारीख 29 जून, 1986 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है बढ़ा दी गई थी,

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त आदेश 29 सितम्बर, 1986 तक की तीन मास की और अवधि के लिए, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी जानी चाहिए,